



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001

email : rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL



Date: 09/10/2025

RPCB/RO NGR/PUB-206/2385-2389

M/s Neece Granite,
1200-1201, Kotra, Near Govt. Dispensary,
Ajmer, District- Ajmer (Raj.)
neecigranite@gmail.com

Sub.- Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of proposed Mining Project at "near Village- Surajgarh, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur" applied by M/s Neece Granite, M.L. No. 30/2022 having mine lease area of 2.34449 Hectare [Old Area-2.09359 Ha. + Gap 0.2509 Ha.] and the proposed production capacity- 201701 TPA for Granite Cluster Mining Project, which is located in cluster (M.L. No. 30/2022, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 07/2023, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 09/2023, 24/2020, 11/2023, 19/2021, 06/2022, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 31/2022, 32/2022, 34/2022, 05/2022, 33/2022, 35/2022, 36/2022, 37/2022, 03/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022) having total area of 62.22099 Hectare".

- Ref.- 1. Letter no. 8637 dated 07.10.2025 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no. 1036-1038, dated 20.06.2025.
3. ToR Issued by SEIAA, Jaipur, File No. RJ/25/SEAC2(06)/MIN/TOR/0424 Dated 16.05.2025.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 8637 dated 07.10.2025 in which public hearing has been finalized on dated 26.11.2025 at 03:00 PM. Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 25.10.2025 the newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Govt. Upper Primary School Surajgarh, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur** for the environmental clearance of your project.

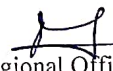
You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,


(Rajkumar Meena)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. District Collector, Nagaur in compliance to your letter no. 8637 dated 07.10.2025.
3. Sub- Division Magistrate, Riyanbadi, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


Regional Officer
OLC



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001

email : rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL



पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " ग्रेनाइट खनन परियोजना मैसर्स नीसी ग्रेनाइट, एमएल नंबर 30/2022, प्रस्तावित क्षेत्र— 2.34449 हेक्टेयर [Old Area-2.09359 Ha. + Gap 0.2509 Ha.] प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 201701 टीपीए, निकट गांव— सूरजगढ़, तहसील— रियांबड़ी, जिला— नागौर (राज.) जो कि ग्रेनाइट खनन परियोजना, कलस्टर (एम.एल. नं.— 30/2022, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 07/2023, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 09/2023, 24/2020, 11/2023, 19/2021, 06/2022, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 31/2022, 32/2022, 34/2022, 05/2022, 33/2022, 35/2022, 36/2022, 37/2022, 03/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022), कुल कलस्टर क्षेत्र— 62.22099 हेक्टेयर में स्थित है, मैं ग्रेनाइट खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स नीसी ग्रेनाइट को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:—
 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
 6. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 9. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।
 10. तहसीलदार, रियांबड़ी।
 11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति— रियांबड़ी।
 12. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़, तहसील—रियांबड़ी, जिला— नागौर।
 13. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील— रियांबड़ी, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 26.11.2025 को दोपहर 03:00 बजे, स्थान— राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील— रियांबड़ी, जिला— नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय

(राजकुमार गोणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c